प्रेस-विज्ञप्ति 17.02.2024

आज दिनाँक 17 फरवरी, 2024, समय अपरान्ह 12:00 बजे, मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश एवं FICCI-FLo, कानपुर के संयुक्त तत्वाधान में संस्थानों में यौन उत्पीड़न की रोकथाम (Prevention of Sexual Harassment - (POSH) Laws) के नियमों पर एक कार्यशला आयोजित की गयी।

उक्त विस्तृत व्याख्यान हेतु विशेषज्ञ परामर्शदाता - अमृता स्वरुप जी (Advocate-On-Record), सुप्रीम कोर्ट, उपस्थित थी। आपने POSH Laws कानूनी दावपेंच एवं जटिलताओं को बतलाने से लेकर यौन उत्पीड़न के संभावित खतरों पर प्रकाश के साथ में व्यावहारिक समाधान भी प्रदान किया।

POSH लागू होने की प्रयोज्यता सम्पूर्ण भारत पर लागू, 10 या अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाली प्रत्येक कंपनी, कार्यस्थल, प्रतिष्ठान या संगठन पर लागू, एवं संस्था का आकार कुछ भी हो और चाहे उसमें महिला कर्मचारी हों अथवा नहीं, हर कंपनी को POSH कानूनों का पालन करना पड़ता है।

प्रशिक्षण का उद्देश्य कार्यस्थल पर काम का समान अवसर होना चाहिए, कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य वातावरण बनाएं तथा गरिमापूर्ण कार्यस्थल बनाएं।

कार्यस्थल में चहुओर सर्व सकारात्मकता के लिए समिति (जैसे संगठित-आंतरिक समिति तथा असंगठित-स्थानीय) बनानी चाहिए जो कार्यस्थल के के मुद्दों को सुलझाने का प्रयास कर सकती है।

POSH के अंतर्गत सरकारी संगठन गैर सरकारी संगठनों, निजी अस्पताल, निगम, कंपनियों, घर, फार्म, शैक्षणिक संस्थान, खेल सुविधाओं, अस्पताल, सेवा प्रदाताओं, सहकारी समितियां, आदि आते है जिस पर POSH का नियम लागू है।

उत्पीड़न पर बताया कि प्रतिकूल कार्य वातावरण हो सकता है, डराने-धमकाने वाला या आपत्तिजनक कार्य वातावरण, या अपमानजनक व्यवहार से भी किसी महिला के स्वास्थ्य या सुरक्षा पर असर पड़ने की संभावना रहती है, जिसे संस्था को ध्यान में रखना चाहिए।

उत्पीड़न भेदभावपूर्ण, निजी, भौतिक, शक्ति, मनोवैज्ञानिक, ऑनलाइन, यौन, मौखिक या गैर-मौखिक तरह के हो सकते है तथा यौन और गैर यौन उत्पीड़न के बीच अंतर जैसे कए अन्य महत्वपूर्व मुद्दों एवं उसके व्यवहारिक समाधानों पर अपने विचार व्यक्त किये। यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु PAUSE की अवधारणा दी जिसमें P : pay attention (ध्यान देना), A: acknowledge your assumptions (अपनी धारणाओं को स्वीकार करें), U: understand your perspective (अपने दृष्टिकोण को समझें), S: seek a different perspective (एक अलग दृष्टिकोण की तलाश करें), E: examine your options & make a decision (अपने विकल्पों की जांच करें और निर्णय लें)।

कार्यशाला में विशेष रूप से चैम्बर की वीमेन इंटरप्रेन्योर समिति की श्रीमती मानसी लोहिय, प्रिया रहेजा, स्नेहा गुप्ता, आकांक्षा श्रीवास्तवा, वीमेन इंटरप्रेन्योर समिति की महिला सदस्य, चैम्बर के सचिव श्री महेंद्र नाथ मोदी, उपस्थित थे।